1- विधायी शक्ति ÷ Legislative Power-

1- राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। जिसके हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नही बन सकता।

2÷ राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहुत और सत्रावसान करता है। → अनु-85

आहुत ↳ बुलाना

सत्रावसान ↳ सत्र को समाप्त

3- राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार कि निषेधाधिकार शक्ति है। जिसे Vito Power कहते है।

→ ① सम्पूर्ण / अत्यान्तिक निषेधाधिकार की शक्ति - Abslute Vitopower
→ ② निलम्बन कारी निषेधाधिकार की शक्ति - Suspensive Vito Power.
→ ③ जेबी निषेधाधिकार की शक्ति - Pocket Vitopower.

सम्पूर्ण / अत्यान्तिक निषेधाधिकार :- संसद के दोनो सदनों के द्वारा पारित प्रस्ताव पर यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना कर दें तो वह विधेयक कानुन नहीं बन पायेगा।

→ पेप्सु विधेयक 1954 पर तत्कालिन राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने इसका प्रयोग किया था।

निलम्बनकारी निषेधाधिकार की शक्ति :-

↳ संसद के दोनो सदनों के द्वारा पारित विधेयक को यदि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सदन मे वापस भेज दें, और सदन विधेयक को पुनः राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति उसपर हस्ताक्षर के लिए बाध्य होंगे।

संसद विधेयक को राष्ट्रपति के पास - 2 बार भेज सकता है।

⇒ राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए 1 बार भेज सकता है।

Note :- धन विधेयक पर यह प्रयोग नही करेंगे।

③ जेबी निषेधाधिकार की शक्ति :- Pocket Vito Power :-

संसद के दोनो सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति कितने समय मे हस्ताक्षर करेगा यह संविधान मे निश्चित नही है। अर्थात विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकेगा।

सर्वप्रथम Vito Power का प्रयोग ←

डॉक संशोधन विधेयक 1986 पर तत्कालिन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने प्रयोग किया था।

यह राष्ट्रपति का सबसे स्वतन्त्र Vito Power है।

Note:- अमेरिका के राष्ट्रपति के पास 4 प्रकार का Vitopower है।
-चौथा Vitopower- विशेषाधिकार की शक्ति है।

(4) राष्ट्रपति का अध्यादेश - Ordinance of President - अनु 123.

अध्यादेश की अधि० अवधी 6 माह + 6 सप्ताह अर्थात - $7\frac{1}{2}$ माह होगा।

जब संसद का कोई एक सदन या दोनो सदन सत्र मे नही हो तो राष्ट्रपति संसद के कानुन बनाने शक्ति के बराबर एक अस्थायी कानुन बना सकेगा, जिसे राष्ट्रपति का अध्यादेश कहते है।
संसद को सत्र मे आते ही 6 सप्ताह के भीतर दोनो सदनों से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
संसद के एक सत्र से दुसरे सत्र के मध्य अधिकतम 6 माह का अन्तराल होता है। जिसे दिर्घावकाश कहते है।

संसद - दो सूची पर कानून → ① संघ सूची, ② समवर्ती सूची → अध्यादेश

② प्रशासनिक शक्ति : Administrative Power :

1- संघ के कार्यपालिका की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर किया जायेगा।

2 : अन्तर्राष्ट्रीय संधि समझौते पर राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य होगी।

③ : अनु356 के तहत राज्य के राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकेगा।

(v) संघ के महत्वपूर्ण पदों जैसे- महान्यायवादी, नियन्त्रक महालेखा-परिक्षक, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, संघ के मंत्रीपरिषद् आदि की नियुक्ति करता है।

व्यापकशक्ति :-